



111

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2018

III/किरानी/दतिया/भूरा/2018/1960

रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री भारक
शर्मा, निवासी- तरण तारण ताल
मार्ग, हड़ापहाड़ दतिया जिला दतिया
(म.प्र.)

--आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला
दतिया (म.प्र.)

--अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार, तहसील दतिया म.प्र. द्वारा
प्रकरण क्रमांक 4/अ-68/17-18 में पारित आदेश
पारित दिनांक 14/03/2018 के विरुद्ध म.प्र.
भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन
पुनरीक्षण।

किरानी मंगी
22-3-18
6-4-18

22/3/18

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:

किरानी मंगी
एडवोकेट
22-3-2018

1. यहकि, तरण तारण ताल मार्ग हड़ापहाड़ दतिया में स्थित सर्वे क्रमांक 1869/1 रकबा 0.820 हे. में से अंश भाग में चप्पे पुत्र अमान बागला के पूर्वजो को दतिया महाराज के स्टेट टाइम से तात्कालीन रियासत दीवान एनउद्दीन द्वारा उक्त भू-खण्ड पर बसाया गया था। तात्कालीन रियासत के समय उक्त भू-खण्ड पर एवं कच्ची खपरेल घर बने होकर निवासरत थे उक्त भूखण्ड पर पूर्वजो के उपरांत चप्पे पुत्र श्री अमान बागला निवासरत होकर आ रहे थे।

2. यहकि, विद्वान नायब तहसीलदार नजूल दतिया द्वारा चप्पे पुत्र अमान बागला के विरुद्ध राजस्व प्रकरण क्रमांक 156/अ-68/78-79 द्वारा प्रकरण में उक्त भूखण्ड चप्पे पुत्र श्री अमान बागला के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य का माना एवं प्रकरण में साक्ष्य, कथन एवं पंचनामा से ही स्पष्ट था कि आदेशक

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति
पृष्ठ क्र. 22/3/18
दिनांक
इसकावर व म.प्र.

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- तीन/निग./भू.रा./दतिया/2018/1960

रामेश्वर प्रसाद शर्मा विरुद्ध म0प्र0 शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिलेखों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|---|
| 31/5/19 | <p>प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार जिला दतिया के प्रकरण क्रमांक- 4/अ-68/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 14/03/2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 19/7/19 को कलेक्टर जिला दतिया के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> | <p>(आर0के0 जैन) 31/5/19 सदस्य</p> |